न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2021/0029 दर्ज तिथिः–23.02.2021

1. छल्लाराम पुत्र लादूराम उम्र बालिग जाति कुम्हार निवासी बामनवास चौगान तहसील थानागाजी–अलवर।

................प्रार्थी

बनाम

1. बुधालाल पुत्र भौरेलाल पौत्र महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
2. गिरधारी पुत्र भौरेलाल पौत्र महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
3. कमलेश पुत्र भौरेलाल पौत्र महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
4. चौथी देवी पत्नी भौरेलाल उम्र बालिग जाति कुम्हार
5. मीरा पुत्री भौरेलाल पौत्री महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
6. धौली पुत्री भौरलाल पौत्री महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
7. काजल पुत्री भौरेलाल पौत्री महादेव उम्र बालिग जाति कुम्हार
8. किशोर पुत्र मंगल उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण
9. ग्यारसीलाल पुत्र मंगल उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण
10. रामलाल पुत्र मंगल उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण
11. खैराती पुत्र मूल्या उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण
12. लक्ष्मण पुत्र मूल्या उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण
13. जगदीश पुत्र भूरा उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण
14. प्रभू पुत्र छीतर उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण
15. सुरस्ती देवी पत्नी प्रभात उम्र बालिग जाति हरियाणा ब्राह्मण

समस्त निवासी बामनवास चौगान तह0 थानागाजी जिला अलवर

..................अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री रामकरण चौपड़ा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री गोपाल शर्मा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

छल्लाराम बनाम बुधाराम

2021/0029

निर्णय दिनांकः–09.05.2023

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:—09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 166 हाल खसरा नम्बर 1323/0.06 है0 में प्रार्थी 1/8 हिस्से का खातेदार खाता संख्या 240 हाल खसरा नम्बर 1321/0.30 है0, 1377/0.29 है0 में प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार वाके ग्राम बामनवास चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075—2078 में खाता संख्या 240 में प्रार्थी का नाम श्रवण पुत्र लादू व खाता संख्या 166 में धल्ला पुत्र लादू अंकित है। प्रार्थी के पिता लादू की मृत्यु के पश्चात विरासत की इन्तकाल संख्या 81 दिनांक 29.05.1981 वाके ग्राम बामनवास चौगान द्वारा खाता संख्या 240 में श्रवण पुत्र लादू तथा खाता संख्या 186 में धल्ला पुत्र लादू दर्ज कर दिया है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम छल्लाराम पुत्र लादू दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2075—2078 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम छल्लाराम पुत्र लादू दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07, 14 व 15 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 08 लगायत 13 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अप्रार्थी संख्या 08 लगायत 13 की कोई उज्र ऐतराज नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में छल्ला[illegible] श्रवण पुत्र लादू व धल्ला पुत्र लादू दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को [illegible]य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राज[illegible] रिकॉर्ड में छल्लाराम पुत्र लादूराम दुरूस्त कर सही नाम छल्ला[illegible] किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण को भी इस सम्बन्ध में [illegible] उज्र ऐतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:07 IST
Reason: SelfAttested

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–78 वाके ग्राम बामनवास चौगान के नवीन खाता संख्या 166 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
किशोर पुत्र मंगल जाति ब्राह्मण हरियाणा	1323	0.06 है0
खैराती पुत्र मूल्या जाति ब्राह्मण हरियाणा		
ग्यारसीलाल पुत्र मंगल ब्राह्मण हरियाणा		
जगदिश पुत्र भूरा ब्राह्मण हरियाणा		
धल्ला पुत्र लादू जाति कुम्हार		
प्रभू पुत्र छीतर जाति ब्राह्मण हरियाणा		
मु0सुरस्ती पत्नी प्रभात जाति कुम्हार		
महादेव पुत्र लादू जाति कुम्हार		
रामलाल पुत्र मंगल जाति ब्राह्मण हरियाणा		
लक्ष्मण पुत्र मूल्या जाति ब्राह्मण हरियाणा		

5. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075–78 वाके ग्राम बामनवास चौगान के नवीन खाता संख्या 240 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
महादेव पुत्र लादू जाति कुम्हार	1321	0.30 है0
श्रवण पुत्र लादू जाति कुम्हार	1377	0.29 है0

6. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम बामनवास चौगान का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः–

बन्दोबस्त संवत् 2060			
खसरा नम्बर हाल	रकबा	साबिक	रकबा
1321	0.30	1258	01 बीघा 04 बिस्वा
1323	0.06	1260	05 बिस्वा
1377	0.29	1309	01 बीघा 03 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:07 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2039 वाके ग्राम बामनवास चौगान के खाता संख्या 137 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता	खातेदार	आराजी खसरा संख्या	रकबा
137	महादेव व **छल्ला** पिसरान लादू समान भाग हिस्सा 1/4 कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार	1260	05 बिस्वा
177	महादेव **श्रवण** पिसरान लादू समान भाग हिस्सा 1/4 कौम कुम्हार साकिन देह खातेदार	1258	01 बीघा 04 बिस्वा
		1309	01 बीघा 03 बिस्वा

8. इस प्रकार शामिल मिसल साबिक जमाबन्दी संवत् 2034, साबिक जमाबन्दी संवत 2039, साबिक जमाबन्दी संवत 2044 साबिक जमाबन्दी संवत 2052 तथा नामान्तकरण संख्या 81 दिनांक 29.05.1981 तथा 184 दिनांक 28.05.1886 वाके ग्राम बामनवास चौगान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता लादू की विरासत के नामान्तकरण संख्या 81 दिनांक 29.05.1981 में प्रार्थी का नाम **छल्ला पुत्र लादू** तथा नामान्तकरण संख्या 184 दिनांक 28.05.1886 में प्रार्थी का नाम **श्रवण पुत्र लादू** अंकित किया गया। इस प्रकार एक ही व्यक्ति के दो अलग–अलग नाम दर्ज कर राजस्व कार्मिकों द्वारा काबिले दुरूस्त त्रुटि की है।

9. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
पहचान–पत्र	छल्ला पुत्र लादूराम
आधार कार्ड	छल्लाराम प्रजापत पुत्र लादूराम प्रजापत
राशन कार्ड	छल्लाराम पुत्र लादूराम

10. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया [illegible] पुत्र लादू व छल्ला पुत्र लादू का सही नाम छल्लाराम पुत्र लादू है। जबकि श्रवण व छल्ला छल्लाराम का बोलता नाम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:07 IST
Reason: SelfAttested

11. उक्त विश्लेषण के अनुसार साबिक जमाबन्दी संवत् 2034, साबिक जमाबन्दी संवत 2039, साबिक जमाबन्दी संवत 2044 साबिक जमाबन्दी संवत 2052 तथा नामान्तकरण

संख्या 81 दिनांक 29.05.1981 तथा 184 दिनांक 28.05.1886 वाके ग्राम बामनवास चौगान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता लादू की विरासत के नामान्तकरण संख्या 81 दिनांक 29.05.1981 में प्रार्थी का नाम **छल्ला पुत्र लादू** तथा नामान्तकरण संख्या 184 दिनांक 28.05.1886 में प्रार्थी का नाम **श्रवण पुत्र लादू** अंकित किया गया। एक ही व्यक्ति के दो अलग नामान्तकरणों में पृथक नाम दर्ज करना उचित नहीं है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी का बोल–चाल का नाम श्रवण है जबकि असल नाम छल्लाराम है। इससे यह संभावना प्रतीत होती है कि नामान्तकरण संख्या 184 दिनांक 28.05.1886 में प्रार्थी का नाम **श्रवण पुत्र लादू** बोल–चाल के नाम से अंकित किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम छल्लाराम पुत्र लादूराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यधित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक जमाबन्दी संवत् 2034, साबिक जमाबन्दी संवत 2039, साबिक जमाबन्दी संवत 2044 साबिक जमाबन्दी संवत 2052 तथा नामान्तकरण संख्या 81 दिनांक 29.05.1981 तथा 184 दिनांक 28.05.1886 वाके ग्राम बामनवास चौगान, अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **छल्ला व श्रवण पुत्र लादू** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **छल्लाराम पुत्र लादूराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 को न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:07 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)